

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक 182 / Aligarh/13877/UP-135/2015, अलीगढ़: दिनांक: जुलाई, 14, 2020

सेवामें,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषय:-

कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत अलीगढ़-राया-मथुरा मार्ग (एस0एच0-80) किमी0 चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम-बिसावली के खसरा सं0- 537 में एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075012 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 07 वृक्षों के पातन की अनुमति। (प्रस्ताव सं0- FP/UP/Others/13877/2015)

संदर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ का पत्रांक 8B/UP/06/39/2017/FC/46 दिनांक 17.07.2017 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 1540/अलीगढ़/13877/2015 दिनांक 31.01.2020

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयीं आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार कर, संशोधित प्रस्ताव 04 प्रतियों में संस्तुति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

S.no.	Objection	Reply
1	आपके द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र में भारत सरकार की समस्त आपत्तियों का समेकित निराकरण नहीं किया गया है।	आपके द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र में भारत सरकार की समस्त आपत्तियों का समेकित निराकरण कर बिन्दुवार अनुपालन/निराकरण संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-1)
2	भारत सरकार की आपत्ति बिन्दु सं0-4 के क्रम में के0एम0एल0 फाईल में संशोधन नहीं किया गया है।	भारत सरकार की आपत्ति बिन्दु सं0-4 के क्रम में के0एम0एल0 फाईल में संशोधन कर, संशोधित के0एम0एल0 फाईल प्रस्ताव के साथ संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-2)
3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन संलग्न है, किन्तु प्राक्कलन में चरणों के नाम त्रुटिपूर्ण अंकित हैं। अतः संशोधित कर संलग्न करते हुए ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।	नवीन चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल- टुआमई वन ब्लाक का क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित वृक्षारोपण का विस्तृत त्रुटिरहित प्राक्कलन संलग्न है। (प्रस्ताव पृष्ठ सं0-)
4	भारत सरकार की आपत्ति बिन्दु सं0-6 के क्रम में आपके द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण का क्रमशः 0.07 हे0 एवं 0.9 हे0 का चयन किया गया है जिसमें पूर्व से ही लगभग पूरे क्षेत्रफल में पेड़ लगे दिखाई दे रहे हैं। अतः एक ही पैच का चयन कराकर संशोधित के0एम0एल0 फाईल अपलोड करें।	नवीन चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को खाली एवं एक ही पैच में चयन कर, संशोधित के0एम0एल0 फाईल संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-3)
5	ऑनलाइन भाग-2 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का जियो रिफ्रैन्सड डिजीटल मैप तथा टोपोशीट अपलोड की गयी हैं जो सत्यापित नहीं हैं। अतः सत्यापित क्षतिपूरक वृक्षारोपण की जियो रिफ्रैन्सड डिजीटल मैप तथा टोपोशीट ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।	नवीन चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का जियो रिफ्रैन्सड डिजीटल मैप तथा टोपोशीट प्रस्ताव में संलग्न कर प्रेषित है एवं इनकी सत्यापित मूल प्रति खाली एवं एक ही पैच में चयन कर, ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड कर दी गयी है। (प्रस्ताव पृष्ठ सं0-)

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एन0पी0 उपाध्याय)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक 182 / दिनांकित।

प्रतिलिपि: डिवीजनल मैनेजर, नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0), वर्ल्ड ट्रेड टावर, 1105-06 ग्यारवां तल, सेक्टर-16, नोएडा-201309 (उ0प्र0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एन0पी0 उपाध्याय)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्रांक
8B/UP/06/39/2017/FC/46 दिनांक 17.07.2017 द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का समेकित निराकरण।

S.no.	Objection	Reply
1	The information regarding Non Forest Land (NFL) at A-1(ix) of part is incorrect.	Non Forest land से सम्बन्धित सूचना A-1(ix) पर अपलोड कर दी गयी है।
2	The information regarding time period of diversion at A-1(x) of part is incorrect.	Time period of diversion से सम्बन्धित त्रुटिरहित सूचना A-1(x) पर अपलोड कर दी गयी है।
3	The details of non forest land at B-2 of part is incorrect.	Non Forest land से सम्बन्धित त्रुटिरहित सूचना A-1(ix) पर अपलोड कर दी गयी है।
4	The kml file of proposed forest land for diversion is showing tilt and it overlaps with the existing road and the same needs revision.	kml file में आवश्यक संशोधन कर, संशोधित के0एम0एल0 फाइल, सी0डी0 संलग्न कर दी गयी है।
5	The geo coordinates of the curvilinear portion of proposed forest land diversion has not been provided in C (iv) of part I.	प्रस्तावित स्थल के Curvilinear portion के Geo coordinates C(iv) पर उपलब्ध करा दिये गये हैं। (पृष्ठ सं0-47)
6	The kml file of compensatory afforestation shows overlap with road and existence of vegetation, thus location of CA needs revision.	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु पूर्व में चिन्हित स्थल में संशोधन कर, नवीन क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित स्थल के नवीन डी0जी0पी0एस0 मैप, टोपोशीट एवं के0एम0एल0 फाइल संलग्न कर प्रेषित है। (पृष्ठ सं0 एवं के0एम0एल0 सी0डी0)
7	Compensatory afforestation scheme should be framed as per provisions contained in section 3.2 (viii) of the FCA Handbook of 2004.	क्षतिपूरक वनीकरण स्कीम में आवश्यक संशोधन कर, संशोधित क्षतिपूरक वनीकरण की स्कीम व प्राक्कलन संलग्न कर प्रेषित है। (पृष्ठ सं0 67-69)
8	The certificate regarding "Van Swaroop Forestland" "Protected Area or wildlife Migration Corridor" etc which are for forest related issue has been provided on User Agency letter head and dispatch number rather the some shall be issued from the concerned DFO's office.	प्रस्तावित स्थल "वन स्वरूप क्षेत्र न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र" एवं " संरक्षित क्षेत्र, वन्यजीव विहार एवं हाथी कॉरीडोर न होने संबंधी प्रमाण पत्र" प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा निर्गत कर, संलग्न कर प्रेषित है। (पृष्ठ सं0 24 एवं 25)
9	On various documents name and date of signing authority has not been provided.	विभिन्न अभिलेखों पर नाम व दिनांक अंकित कर दिये गये हैं।

(एन0पी0 उपाध्याय)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

bb